

|                                                                                                   |                                                                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                                 | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                                    | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | भाद्र 12, बुधवार, शके 1947- सितम्बर 03, 2025<br><i>Bhadra 12, Wednesday, Saka 1947- September 03, 2025</i> |                                                  |

**भाग-3(क)**

**राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत**

**करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।**

**राजस्थान विधान सभा सचिवालय**

**अधिसूचना**

**जयपुर, सितम्बर 03, 2025**

संख्या एफ. 13(07)विशा/विस/2025 :-राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन जैसा कि दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025  
प्रवर समिति का गठन

- |     |                             |        |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1.  | श्री हेमन्त मीणा (199)      | सभापति |
| 2.  | श्रीमती शोभा चौहान (165)    | सदस्य  |
| 3.  | श्री ताराचन्द जैन (74)      | सदस्य  |
| 4.  | श्री गुरवीर सिंह (42)       | सदस्य  |
| 5.  | श्री देवी सिंह शेखावत (81)  | सदस्य  |
| 6.  | श्री कैलाश चन्द वर्मा (36)  | सदस्य  |
| 7.  | श्री जेठानन्द व्यास (66)    | सदस्य  |
| 8.  | डॉ. शैलेश सिंह (164)        | सदस्य  |
| 9.  | श्री हंसराज मीना (188)      | सदस्य  |
| 10. | श्री चेतन पटेल कोलाना (53)  | सदस्य  |
| 11. | श्री भीम राज भाटी (107)     | सदस्य  |
| 12. | श्री सुरेश गुर्जर (176)     | सदस्य  |
| 13. | डॉ. दयाराम परमार (76)       | सदस्य  |
| 14. | श्री अनिल कुमार कटारा (127) | सदस्य  |
| 15. | श्री जीवाराम चौधरी (64)     | सदस्य  |

**सचिवालय:-**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. श्री भारत भूषण शर्मा   | प्रमुख सचिव     |
| 2. श्री नन्द किशोर शर्मा  | उप सचिव (विधान) |
| 3. श्री छवि प्रकाश        | सहायक सचिव      |
| 4. श्री रघुवीर भूषण दाधीच | अनुभाग अधिकारी  |

**शासकीय प्रतिनिधि:-**

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. श्री दिनेश कुमार          | प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग |
| 2. श्री बृजेन्द्र जैन        | प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग   |
| 3. सुश्री मेघना जैन          | विशिष्ट सचिव, विधि विभाग       |
| 4. श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार | एम.डी. रीको                    |

मैं, सभापति, प्रवर समिति, जिसे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर प्रवर समिति का यह प्रतिवेदन, उसके यथासंशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूँ :-

यह विधेयक राजस्थान विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी, 2025 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक के प्रस्ताव पर यह विधेयक दिनांक 21 मार्च, 2025 को प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सदन द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। परन्तु इस प्रस्ताव में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं होने के फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 224(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत 'प्रतिवेदन के लिए यदि कोई समयावधि सदन द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो तो समिति अपना प्रतिवेदन तीन माह की अवधि में उपस्थापित करना होता है।' उक्त अवधि दिनांक 20 जून, 2025 को समाप्त हो रही थी। कतिपय कारणों से प्रवर समिति की बैठक नहीं होने के फलस्वरूप इस विधेयक पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः समिति ने दिनांक 29 जुलाई, 2025 की बैठक में प्रतिवेदन के उपस्थापन की समयावधि आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने हेतु माननीय अध्यक्ष को निवेदन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिवेदन को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक उपस्थापित करने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी।

प्रवर समिति का गठन दिनांक 16 जून, 2025 को किया गया जिसमें सभापति सहित कुल 15 सदस्य शामिल किये गये। समिति द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2025 की बैठक में विधेयक पर खण्डशः विचार-विमर्श प्रारम्भ किया। समिति की कुल 4 बैठकें हुई।

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.4(56)उद्योग/1/79 दिनांक 18.09.1979 के द्वारा रीको को अंतरित औद्योगिक क्षेत्रों में इस अंतरण के पश्चात् रीको ने इन क्षेत्रों के भीतर अंतरणों, उप-विभाजनों और नियमितीकरणों के लिए अनुमोदन प्रदान किये गये थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 की सिविल अपील संख्या 2963 और अन्य संसक्त मामलों में दिनांक 20.04.2023 के अपने निर्णय में, विधि के किसी भी करार अथवा पंजीकृत दस्तावेज के अभाव में हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की। इस निर्णय के कारण रीको ने ऐसे हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के लिये अनुज्ञाप जारी करना दिनांक 26.05.2023 से बन्द कर दिया है। इसने राज्य के औद्योगिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। राज्य सरकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा 18.09.1979 से प्रस्तावित संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम के प्रभावी होने तक, की गई समस्त कार्रवाइयों को विधिमान्य करना आवश्यक समझती है।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए आबंटित सरकारी भूमि रीको में निहित हो और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार उसका व्ययन किया जाय।

प्रवर समिति ने अपनी बैठकों में गहन विचार-विमर्श कर कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये हैं। इसमें संलग्न संशोधन राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित है।

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में समिति की निरुक्तियां उत्तरवर्ती कण्डिकाओं में दी गई हैं।

#### खण्ड 2

1. खण्ड 2 (3) को खण्ड 2 (2) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।
2. खण्ड 2 (2) को खण्ड 2 (3) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड 2 (3) में के अंत में आये विराम चिन्ह "|" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया गया है।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित खण्ड 2(3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है:-

"Provided that nothing contained in sub-section (1) and (2) shall apply to any land allotted for industrial purposes on or before 18.09.1979 and lease of which has been cancelled by the State Government or the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), as the case may be, on or before the date of coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025 (Act No..... of 2025); "

जयपुर,

दिनांक- 01 सितम्बर, 2025

ह.

(हेमन्त मीणा)

सभापति

**THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL,  
2025**

(As amended by the select committee)

Note:- All matters omitted by the select committee have been in square brackets and newly matters inserted have been underlined.

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

**2. Insertion of new section 100-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-** After the existing section 100 and before the existing section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

**“100-A. Vesting of land in Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited and its disposal.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, any land placed at the disposal of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) by the State Government in any manner till the commencement of the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025 (Act No. .... of 2025) and henceforth shall be deemed to be vested in it with effect from the date of the possession of the land was or is taken over by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) for disposal of such land in the manner prescribed by the State Government and for development and management of industrial areas.

[ (2) Notwithstanding anything contained in any other law, for the time being in force, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) shall exercise all the powers in relation to industrial areas belonging to it, in respect of the development of industrial areas, preparation and amendment of layout plans, subdivision and merger of plots of land, disposal of land, specifications and change of land use, granting of permissions, approvals, and other actions necessary for carrying out its functions in such industrial areas in the manner prescribed by the State Government.]

[(3)] (2) Notwithstanding any judgment, decision, decree, or order of any Court, any provision of this Act or the rules made thereunder, and notwithstanding any omissions or defects or form of procedure or want of competent sanction or approval, it is hereby declared that all transfer of land, sub-divisions, or mergers of plots or land, regularization, specifications and change of land use or all other acts done by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), so far in relation to land in

industrial areas under its control and management, shall be treated as having been done under the authority of the State Government and shall be deemed to be valid for all purposes.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law, for the time being in force, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) shall exercise all the powers in relation to industrial areas belonging to it, in respect of the development of industrial areas, preparation and amendment of layout plans, sub-division and merger of plots of land, disposal of land, specifications and change of land use, granting of permissions, approvals, and other actions necessary for carrying out its functions in such industrial areas in the manner prescribed by the State Government[.] :

Provided that nothing contained in sub-section (1) and (2) shall apply to any land allotted for industrial purposes on or before 18.09.1979 and lease of which has been cancelled by the State Government or the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), as the case may be, on or before the date of coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025 (Act No..... of 2025);

(4) Subject to the rules framed by the State Government, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), may, from time to time, make regulations for all or any matters provided under this section and generally for all other matters in its opinion considered necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions and duties. Such regulations shall take effect on its publication in the Official Gazette.”.

**3. Amendment of section 261, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-** In sub-section (2) of section 261 of the principal Act, after the existing clause (xvii) and before the existing clause (xviii), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(xvii-a) prescribing the manner of giving effect to the provisions of section 100-A about the land placed and vested in the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO),”.

---

---

A

Bill

*further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

---

**(As amended by the Select Committee)**

---

**Bharat Bhushan Sharma,**  
**Principal Secretary.**

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

(प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित)

**नोट:-** प्रवर समिति द्वारा लोपित समस्त सामग्री वर्गाकार कोष्ठकों में दर्शायी गयी है और अन्तःस्थापित नई सामग्री रेखांकित की गई है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 में नयी धारा 100-क का अंतःस्थापन.-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 100 के पश्चात् और विद्यमान धारा 101 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

**“100-क.- राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भूमि को निहित करना और उसका व्ययन.-** (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम सं.....) के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति से तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) के व्ययन के लिए रखी गयी ऐसी कोई भूमि, उस तारीख से, जब भूमि का कब्जा, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसी भूमि के व्ययन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए लिया गया था या लिया जाता है, उसमें निहित समझी जायेगी।

[(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) उससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, अभिन्यास योजनाओं की तैयारी और संशोधन, भूमि के भू-खण्डों का उप-विभाजन और विलयन, भूमि का व्ययन, भू-उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन, अनुज्ञापत्र प्रदान करने, अनुमोदन करने और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाइयों के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।]

[(3)] (2) किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश, इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्धीन बनाये गये नियमों के होते हुए भी, और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए भी, एतद्वारा

यह घोषित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) द्वारा जहां तक अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किये गये भूमि के समस्त अंतरण, उप-विभाजन या भू-खंडों या भूमि के विलयन, नियमितीकरण, भू-उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन या अन्य समस्त कार्य, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किये गये माने जायेंगे और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझे जायेंगे।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) उससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, अभिन्यास योजनाओं की तैयारी और संशोधन, भूमि के भू-खण्डों का उप-विभाजन और विलयन, भूमि का व्ययन, भू-उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन, अनुज्ञाएं प्रदान करने, अनुमोदन करने और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाइयों के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।।:

परन्तु उप-धारा (1) और (2) में निहित कोई भी बात 18.09.1979 को या उससे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी और जिसका पट्टा राज्य सरकार या, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) द्वारा, यथास्थिति, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्या.....) के लागू होने की तारीख को या उससे पहले निरस्त कर दिया गया हो।

(4) राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको), समय-समय पर, इस धारा के अधीन उपबंधित समस्त या किन्हीं मामलों के लिए और साधारणतया उन अन्य समस्त मामलों के लिए, जो उसकी राय में उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जायें, विनियम बना सकेगा। ऐसे विनियम राजपत्र में उनका प्रकाशन होने पर प्रभावी होंगे।”।

**3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 261 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (xvii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xviii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xvii-क) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) में रखी गयी और निहित की गयी भूमि के बारे में धारा 100-क के उपबंधों को प्रभावी करने की रीति विहित करना,”।